न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 214/2021

पोखरमल पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर

–वादीगण–

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल
2. सुधीर पुत्र कन्हैयालाल
3. सुनिल पुत्र कन्हैयालाल
4. संतरा देवी पत्नी कन्हैयालाल
5. मंजूदेवी पुत्री कन्हैयालाल
6. गोदावरी पुत्री कन्हैयालाल
7. अन्नू शर्मा पुत्री कन्हैयालाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिपराली
9. उप पंजीयक सीकर
10. तहसीलदार, सीकर

– प्रतिवादीगण –

वाद बाबत उद्घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ.

उपस्थित –वकील वादी– श्री गणपतलाल चौधरी
वकील प्रतिवादीगण – श्री रामेश्वरलाल बिजारणीयां

निर्णय

दिनांक : 4.07.2022

वकील वादी ने एक दावा पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2786/19 रकबा 0.9050 है0 वाके ग्राम

लखीपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें 0.11 है0 भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। शेष भूमि रकबा 0.7950 है0 पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पूर्वज कन्हैयालाल के नाम से थी जिन्होने अपने जीवनकाल में ही अपनी खातेदारी की भूमि में से 0.11 है0 भूमि वादी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2017 को विक्रय कर कब्जा वास्तविक एवं व्यवहारिक रूप से सम्भला दिया था। उक्त विक्रय पत्र का नामा0 खुलवाने हेतु पटवारी हल्का को दिया गया परन्तु सहवन से खातेदारी वादी के नाम दर्ज होने से रह गई। कन्हैयालाल की मृत्यु के वाद सम्पूर्ण भूमि का विरासत का नामा0 संख्या 1179 दिनांक 30.4.2020 प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज कर दिया गया । वादी को उक्त गलत खातेदारी की जानकारी हुई तो प्रतिवादीगण को रिकार्ड दरूस्ती के लिये कहा तो इन्कार कर दिया इसलिये दावा करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने गलत खातेदारी की आड़ में विवादित भूमि को रहन रख कर प्रतिवादी संख्या 8 से ऋण प्राप्त कर लिया। जिसका चुकता करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का है। वाद स्वीकार किया जाकर वादी को विवादित भूमि में से 0.11 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

वाद प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये वकील उपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किया गया । इनके अधिवक्ता द्वारा लिखित में वाद को डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान की ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 2786/19 की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की खातेदारी दर्ज है। पूर्व में खातेदारी कन्हैयालाल के नाम से दर्ज होना भी राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है। वादी द्वारा कन्हैयालाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 0.11 है0 भूमि क्रय किया जाना प्रस्तुत विक्रय पत्र से प्रमाणित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो कि कन्हैयालाल के वारिसान है के अधिवक्ता द्वारा दावा डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गई है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 2786/19 रकबा 0.9750 है0 में से 0.1100 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के कब्जे काश्त में रहेगी। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा ऋण लिया गया है उसको चुकता करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का रहेगा।

तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.7.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर